Dr. Nayeb Ali, Asstt Prof., Dept of Pol. Sc.
B.A. Part I (Sub) Soghra College

राज्य और उसके मूल तत्व

State & its essential elements

विषय वस्तु : राज्य शब्द राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न सन्दर्भों में किया गया है सही अर्थों में राजनीतिशास्त्र सिर्फ राज्य का ही अध्ययन करता है। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। जहाँ कईएक देशों को एक तरफ हम राज्य कह कर पुकारते हैं, वहाँ भारत और अमेरिका के संविधानों में संघ की विभिन्न इकाईयों को राज्य कहा गया है। भारतीय संविधान स्पष्टत: इसकी घोषणा करता है कि 'भारत राज्यों का एक संघ है'

राज्य के मूल तत्वों के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न-2 मत है। ब्लंटशली ने राज्य के सात Elements का वर्णन किया है – 1. जनसंख्या, 2. स्थान, 3. संगठन, 4. शासक-शक्ति 5. जीवन, 6. सदाचार के सिद्धांत, 7. नरगुणप्रधानता। जबकि विलोबी ने राज्य के केवल तीन प्रमुख मूल तत्वों का उल्लेख किया है – 1. जनता, 2. शासन तन्त्र और तीसरा 3. संविधान। प्रो० गार्नर ने राज्य-संबंधी चार मूल Elements का उल्लेख किया है। जिन्हें हम आधुनिक राजनीतिशास्त्र के विद्वानों ने स्वीकार किया है। आम तौर से समर्थित राज्य के मूल तत्वों को हम निम्नलिखित रूप से रख सकते हैं।

मूल तत्व

1. जनसंख्या – Population
2. प्रदेश – Territory
3. सरकार – Govt
4. सम्प्रभुता – Sovereignty
   - आंतरिक संप्रभुता – Internal Sovereignty
   - बाहरी संप्रभुता – External Sovereignty
5. आज्ञाकारिता – Obedience
6. मान्यता – Recognition

1. Population :- यह राज्य की प्राथमिक आवश्यकता है यह राज्य का सबसे प्रमुख तत्व है सर्वविदित है कि किसी भी मानवीय संस्था के लिए जनसंख्या आवश्यक है, इसलिए राज्य के लिए भी यह ज़रूरी है। राज्य का निर्माण मानवों से होता है ब्लंटशली ने सही कहा है कि राज्य

Scanned with Cam

का मानवीय आधार जनता ही है।

जहाँ तक जनसंख्या की मात्रा का प्रश्न है, अरस्तु ने राज्य के लिए कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताई है उनके विचार में मनुष्यों की संख्या न तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और न ही बहुत छोटी, संख्या इतनी जरूर होनी चाहिए कि जिससे वह आत्मनिर्भर रहने के साथ ही अपना शासन भी कर सके। रूसो ने भी प्राचीन यूनानी विचारकों की तरह ही सीमित जनसंख्या का समर्थन किया है। प्लेटो ने भी आदर्श राज्य की जनसंख्या कम रखी है।

जनसंख्या के आकार का महत्व आज प्रायः समाप्त हो गया है। आज एक तरफ Vatican और मोनाको सिटी जैसे छोटे राज्य हैं जिनकी आबादी हजारों में है तो दूसरी ओर भारत और चीन जैसे बड़े राज्य भी हैं जिनकी जनसंख्या क्रमशः 1.25 करोड़ और 1.38 करोड़ लगभग है इसलिए आधुनिक समय में अल्प जनसंख्या का सिद्धांत निरर्थक है। जनसंख्या की अधिकता के कारण ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्थान अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ने ले लिया है। आबादी इतनी होनी चाहिए जो राज्य का संगठन कायम रखने के लिए पर्याप्त हो।

2. भू-भाग – राज्य का दूसरा मूल तत्व है। इसके बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। भूमि राज्य की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करती है लिओन, ड्यूग्वी, सीले तथा विलोबी आदि विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक अंग स्वीकार नहीं किया है। सीले के विचार में यदि केवल सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई जनसमूह इकाई के रूप में संगठित हो तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। भूमि राज्य के लिए एक मौलिक तत्व है नागरिकता और संप्रभुता का विकास भूमि के अन्तर्गत ही होता है सही अर्थों में भूमि ही राज्य के स्वरूप का परिचय कराती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि राज्य के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है? इस संबंध में राजनीति शास्त्रियों ने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं आज Vatican City जैसा एक वर्ग मील क्षेत्रफल वाला राज्य है तो दूसरी ओर सोवियत संघ जैसा लाखों वर्गमील क्षेत्रफल वाले राज्य का भी उदाहरण मिलता है। लेकिन, आधुनिक विद्वानों ने छोटे क्षेत्रफल वाले राज्यों को दुर्बल कहकर पुकारा है। आज दुनियाँ के बड़े राज्यों भी गणतंत्रीय शासन-व्यवस्था का प्रयोग हो रहा है। राज्य की भूमी के अन्तर्गत नदियाँ

झीलें, पर्वत आदि सभी आ जाते हैं इसके अलावा राज्य की निश्चित सीमा के ऊपर का वायुमंडल एवं भूमि से लगा हुआ 12 मील तक का समुद्र भी राज्य की भूमि का ही भाग समझा जाता है।

3. सरकार - Govt राज्य का तीसरा अनिवार्य तत्व है किसी निश्चित प्रदेश में स्थाई रूप से रहने वाला जनसमूह तबतक राज्य का निर्माण नहीं कर सकता, जबतक कि उसमें संगठित सरकार न हो। सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रो० गार्नर ने सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है "सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की सामान्य नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों में नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार राज्य का एक आवश्यक तत्व है और जनसंख्या तथा निश्चित प्रदेश के बावजूद यदि सरकार न हो तो राज्य का निर्माण कदापि संभव नहीं। सरकार प्रजातंत्रवादी, एकतंत्रवादी, संसदीय या अध्यक्षात्मक, संघात्मक, तथा एकात्मक भी हो सकती है। सरकार के संगठन के संबंध में यह याद रखना चाहिए कि इसके तीन मुख्य अंग कार्यपालिका विधायिका, न्यायपालिका होते हैं।

4. संप्रभुता - राज्य का चौथा अनिवार्य तत्व है, जो उपर्युक्त तीन तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। संप्रभुता राज्य-रूपी देह की आत्मा है। कोई भी जन समूह एक निश्चित स्थान में स्थाई रूप से निवास करता है और यदि उसकी एक संगठित सरकार भी हो तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि वह संप्रभुता सम्पन्न नहीं है। 15 Aug. 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि वह संप्रभुता-विहिन था। उसके पास निश्चित भू-भाग, जनसंख्या और संगठित सरकार के रहते हुए भी उसमें संप्रभुता नहीं थी। यही कारण है कि हम बिहार, बंगाल, पंजाब आदि को राज्य नहीं मानते क्योंकि अन्य सारे तत्वों के बावजूद हम उनमें संप्रभुता नहीं पाते। राज्य की संप्रभुता का तात्पर्य (i) आंतरिक संप्रभुता (ii) बाह्य संप्रभुता

आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने प्रदेश के अन्तर्गत सर्वोच्च शक्ति है और वह प्रत्येक व्यक्ति, समूह या संस्था को आदेश दे सकता है और उसका पालन करने के लिए उन्हें बाध्य कर सकता है। राज्य स्वयं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, वरना अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को दण्ड दे सकता है।

अतः सबको राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए।

Scanned with Cam

(ii) बाहरी संप्रभुता से अभिप्राय है कि राज्य किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। वह दूसरे देशों के साथ संबंध निश्चित करने में पूर्ण स्वतंत्र है। उसे अपने इच्छा अनुसार युद्ध या संधि करने का भी अधिकार प्राप्त है।

5. आज्ञाकारिता – प्रो० विलोबी ने राज्य संबंधी उपर्युक्त चार तत्वों के अलावा एक अन्य तत्व का भी उल्लेख किया है जो राज्य-निर्माण के लिए आवश्यक है वह Elements नागरिकों के बीच आज्ञाकारिता की भावना है इनके अनुसार यदि राज्य की जनता में आज्ञापालन की भावना न रहे तो राज्य स्थाई नहीं रह सकता। इसके विपरीत अधिकांश विद्वानों ने आज्ञाकारिता-संबंधी इस तत्व को अलग से स्वीकार नहीं किया है।

6. मान्यता Recognition भी आज के राज्यों के लिए एक-अनिवार्य तत्व है। चूंकी आज विश्व के राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना स्थान प्राप्त करना होता है और वह स्थान उन्हें तब तक नहीं मिलता है जब तक विश्व के राज्यों ने उन्हें मान्यता न प्रदान कर दिए हों, इसलिए विश्व के सारे राष्ट्र अपने जन्म के दिन से ही मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। आज मान्यता प्राप्ति के बिना कोई भी राज्य अपने अन्य मूल तत्वों के बावजूद शांति पूर्वक नहीं रह सकता है। For example 1971 ई० में जन्मे बंगलादेश को ले सकते हैं

Scanned with Cam